विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमों का सारांश
उच्च शिक्षण संस्थानों, में रैगिंग की बुराई के खिलाफ, 2009

1. **प्रस्तावना:** माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के मद्देनजर दिनांक 8.05.2009 और केन्द्र के निर्धारण के विचार में सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को प्रतिबंधित करने के लिए, रोकने और रैगिंग का संकट खत्म करने के निर्देश जारी किये गए हे।

2. **उद्देश्य:** विश्वविद्यालयों से अपने सभी रूपों में रैगिंग खत्म करने, देश में जितने भी विश्वविधालय और अन्य उच्च शिक्षण संस्थान हैं, उन्हें इन विनियमों के तहत रैगिंग की हर तरह की, घटनायो को रोकने का जोर लगाना होगा और जो रैगिंग में भाग लेगा उसे रैगिंग के विनियमों के अनुसार दण्डित किया जायेगा।

3. **किन कृत्यों को रैगिंग का दर्जा दिया जा सकता हे:** रैगिंग किसी भी निम्नलिखित कृत्यों में से, एक या एक से अधिक का गठन है:
   a. कोई भी आचरण किसी भी छात्र या छात्रों द्वारा, चाहे शब्दों द्वारा बोली जाने वाली या लिखित या जिससे चिढ़ाने, अशिष्टता या कोई गलत हरकत का प्रभाव पड़ता हो, चाहे फिर वो कोई नया छात्र हो या पुराना, रैगिंग ही माना जायेगा।
   b. कोई भी नया छात्र पुराने छात्र या छात्रों द्वारा उपद्रवी या अनुशासनहीन गतिविधियों का शिकार बनता हे या उनकी किसी भी हरकत से झुंझलाहट, कठिनाई, शारीरिक परेशानी या मनोवैज्ञानिक नुकसान, भय या आशंका तत्संबंधी पैदा होने की संभावना हो तो इन हरकतों को रैगिंग का दर्जा दिया जा सकता।
   c. किसी भी छात्र को कोई भी ऐसा कार्य करने को कहना जिससे उसे पीड़ा या शर्मिंदगी की भावना का सामना करना पड़े, या छात्र की मानसिकता पर प्रतिकूल असर हो।
   d. एक वरिष्ठ छात्र द्वारा किसी भी नवसिखुआ छात्र या अन्य छात्र के नियमित शैक्षिक गतिविधि को बाधित, या परेशान करने वाला कार्य।
   e. एक व्यक्ति या छात्रों के समूह के शैक्षिक कार्यों को पूरा करने के लिए किसी भी नवसिखुआ छात्र या अन्य छात्र की सेवाओं का शोषण।
   f. कोई भी ऐसी हरकत जो वरिष्ट छात्रों द्वारा किसी भी नए छात्र या अन्य छात्रों पर जबरन वित्तीय वसूली या सशक्त खर्च बोझ का कोई भी भार डाले।

g. शारीरिक शोषण के सभी प्रकार: यौन शोषण का कोई भी अधिनियम, समलैंगिक हमले, अलग करना, अश्लील और भद्दा कृत्य, इशारों द्वारा मजबूर व्यक्ति को शारीरिक या स्वास्थ्य नुकसान या किसी अन्य खतरे का कारण।

h. कोई भी हरकत, बोले गए शब्दों, ईमेल, पोस्ट, सार्वजनिक अपमान द्वारा अधिनियम के दुरुपयोग से विकृत खुशी पाना या कामुक रोमांच में सक्रिय या निष्क्रियता से किसी भी नए व् पुराने छात्र की असहजता में भाग लेने से रोमांच मिलना।

i. कोई भी कार्य जो कि एक नवसिखुआया या किसी भी अन्य छात्र के मानसिक स्वास्थ्य और आत्मविश्वास को प्रभावित करता है, कोई भी छात्र, किसी भी नवसिखुआ या किसी अन्य छात्र पर कामुक प्राप्त करने के लिए खुशी, बंद शक्ति या श्रेष्ठता का अधिकार दिखा रहा हो।

4. **रैगिंग के प्रतिबंध के उपाय:** संस्था स्तर, विश्वविद्यालय स्तर, जिला स्तर आदि पर ढेरो ऐसे उपाय हें ।कुछ ऐसे उपाय भी है जो कि छात्रों के लिए जानना महत्वपूर्ण हें:

- कोई भी संस्थान किसी भी रूप में रैगिंग की रिपोर्ट की घटना को नज़र अंदाज़ नहीं करेगा, और सभी संस्थाओं को सभी आवश्यक उपायों के प्रावधानों तक ही सीमित नहीं रहना है, बल्कि इन विनियमों, द्वारा रैगिंग को नष्ट करने के उद्देश्य को प्राप्त करना हे चाहे फिर वो संस्था के भीतर हो या बाहर।
- सभी संस्थानों को इन विनियमों के अनुसार कार्रवाई करनी है, किसी को भी रैगिंग करने / या उकसाने का दोषी पाया जाता है, उन लोगों के खिलाफ सक्रिय रूप से रैगिंग को बढावा देने या एक साजिश का हिस्सा बने हो जो की रैगिंग को बढावा देते हो।
- किसी भी संस्था द्वारा हर सार्वजनिक घोषणा में यह स्पष्ट रूप से कहा गया हे की किसी भी इलेक्ट्रॉनिक आडियोविसुअल या प्रिंट या किसी भी अन्य मीडिया द्वारा, अध्ययन के किसी भी कोर्स में, संस्था में रैगिंग पूरी तरह से निषिद्ध है, और किसी को भी रैगिंग का दोषी सक्रिय या निष्क्रिय रूप से पाया, या एक हिस्सा होने के नाते रैगिंग को बढ़ावा देने की साजिश करने के लिए इन विनियमों के अनुसार दंडित किया जा सकता है।
- एंटी रैगिंग हेल्पलाइन के टेलीफोन नंबर, सभी संस्था में महत्वपूर्ण पदाधिकारियों सहित, सीमित संस्था के प्रमुख, संकाय सदस्यों, विरोधी रैगिंग समितियों के सदस्यों और एंटी रैगिंग दस्तो,जिला और उप-संभागीय अधिकारियों, हॉस्टलों के वार्डनों, और अन्य पदाधिकारियों या संबंधित अधिकारियों की विवरणिका, प्रवेश / अनुदेश पुस्तिका या सूचीपत्र में प्रकाशित किया जायेंगे।

- प्रवेश, नामांकन या पंजीकरण के आवेदन के समय छात्र द्वारा हस्ताक्षर किए गए एक निर्धारित प्रारूप में एंटी रैगिंग शपथ पत्र और एक और एंटी रैगिंग शपथ पत्र जनक / गार्जियन द्वारा हस्ताक्षर करवा कर जमा कराना अनियार्य हे। इन दोनों शपथ पत्र को वेब से डाउनलोड किया जा सकता हे ।
- एंटी रैगिंग हेल्पलाइन पर कोई संकट संदेश प्राप्त होगा तो वो साथ ही संस्थान के प्रमुख, हॉस्टल वार्डन, सम्बद्ध विश्वविद्यालय के नोडल अधिकारी को भी प्राप्त होगा, अगर घटना एक संस्था में घटी हो और उस संस्था का संबद्ध विश्वविद्यालय से हो तो संबंधित जिला अधिकारियों और अगर जरूरी हुआ तो,जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक,को भी वेब सक्षम बनाना होगा जिससे की सार्वजनिक रूप में भी सब एक साथ मीडिया और नागरिकों तक पहुँच सके।
- एंटी रैगिंग दस्ते की सिफारिश प्राप्त होने पर या किसी भी रिपोर्ट की घटना के विषय में किसी भी रैगिंग की जानकारी की प्राप्ति , संस्था के प्रमुख को तुरंत निर्धारित करेगा यह मामला दंडात्मक कानून के तहत आता है और यदि हां, तो या तो अपने दम पर या एंटी रैगिंग द्वारा अधिकृत समिति के एक सदस्य के माध्यम से इस संबंध में, एक प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज करने के लिए आगे बढ़ना है, ऐसी जानकारी या सिफारिश की प्राप्ति के चौबीस घंटे, भीतर पुलिस और स्थानीय अधिकारियों के साथ, तहत प्रावधानों के अनुसार उचित दंड देना होगा।
- एक आयोग उपयुक्त डाटाबेस बनाए रखने के लिए निर्मित किया जाएगा, जो की प्रत्येक छात्र अपने शपथ- पत्र द्वारा उसकी पुष्टि करेगा,उसकी / उसके माता - पिता / अभिभावकों और संस्था द्वारा इलेक्ट्रॉनिक संग्रहित या किसी एजेंसी के माध्यम द्वारा निर्मित किया है और ऐसा डाटाबेस रैगिंग की प्राप्त शिकायतों पर कार्रवाई की स्थिति में रिकार्ड के रूप में भी कार्य करेगा।
- आयोग उपयोगिता में एक विशेष स्थिति भी शामिल होगी, किसी भी वित्तीय सहायता या अनुदान सहायता के संबंध में, कोई प्रमाण पत्र, किसी भी सामान्य या विशेष योजनाओं के तहत संस्था आयोग विरोधी रैगिंग कि संस्था के उपायों के साथ ही पालन किया है।
- एक संस्था में रैगिंग की कोई घटना से उसकी मान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हे, राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद द्वारा या किसी अन्य अधिकृत मान्यता प्राप्त एजेंसियों द्वारा, रैंकिंग/ ग्रेडिंग प्रमाण देने के लिए संस्था का आकलन करना।
- आयोग वित्तीय उन संस्थानों को अनुदान सहायता देने में प्राथमिकता दे सकता है,अन्यथा खंड के अंतर्गत अनुदान प्राप्त करने के पात्र अधिनियम की 12B, जो

वहाँ के मामले की एक दाग रहित रिपोर्ट प्रदान करेगा जिसमे कोई भी रैगिंग की घटना की सूचना न हो।

5. **रैगिंग की घटना में प्रशासनिक कार्रवाई:** रैगिंग का दोषी पाने पर संस्था छात्र को निर्धारित तरीके से और नीचे दिए गयी प्रक्रिया का पालन करने के बाद सज़ा देगा।

- एक उपयुक्त संस्था की एंटी रैगिंग समिति दंड के संबंध में या अन्यथा तथ्यों के आधार पर प्रत्येक घटना की प्रकृति या गंभीरता या रैगिंग विरोधी दस्ते की सिफारिशों में स्थापित किया गया ,के आधार पर निर्णय लिया जायेगा।
- एंटी रैगिंग समिति, प्रकृति और गुरुत्वाकर्षण के अपराध का दोषी के आधार पर एंटी रैगिंग दस्ते का पुरस्कार , एक या एक से अधिक; निम्नलिखित दंड पर निर्भर करता है,
  a) वर्गों और शैक्षिक विशेषाधिकारों में भाग लेने से सस्पेंशन.
  b) छात्रवृत्ति / रोकना, वापिस /फेलोशिप और अन्यलाभ.
  c) किसी भी परीक्षा / परीक्षा की मूल्यांकन प्रक्रिया में प्रदर्शित होने से रोकना
  d) परीक्षा के परिणामो को रोक लेना
  e) किसी भी संस्था का क्षेत्रीय, राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय स्पर्धा, टूर्नामेंट, युवा त्योहार, आदि में प्रतिनिधित्व करने से रोकना
  f) छात्रावास से सस्पेंशन / निष्कासन
  g) किसी भी संस्था में प्रवेश रद्द
  h) एक से लेकर चार समेस्टर की अवधि के लिए संस्था से निष्कासन
  i) संस्था से निष्कासन और एक निर्दिष्ट अवधि के लिए किसी अन्य संस्था में प्रवेश बंद

- जहाँ पर किसी व्यक्ति को रैगिंग करने और उकसाने का कार्य नहीं पहचान में आ रहा हो तो सामूहिक सजा का सहारा लेना होगा।

- एंटी रैगिंग समिति द्वारा सजा के आदेश के खिलाफ अपील: (i) एक संस्था के एक आदेश के मामले में जिसका संबद्धया एक विश्वविद्यालय के संघटक भाग से हो, कुलपति, विश्वविद्यालय से करेगा। (ii) विश्वविद्यालय के एक आदेश के मामले में, अपने चांसलर से। (iii) राष्ट्रीय महत्व के एक अधिनियम के द्वारा बनाई गई एक संस्था के मामले में या संस्था के अध्यक्ष और चांसलर के लिए संसद में मामले के रूप में हो सकता है।

- नियुक्ति प्राधिकारी की राय में संस्था के दोषपूर्ण स्टाफ का कोई भी सदस्य रिपोर्टिंग या शीघ्र कार्रवाई करने में या रैगिंग की घटना को रोकने तथा शिकायतों की ओर एक उदासीन या असंवेदनशील का रवैया प्रदर्शित करे और रैगिंग को रोकने के लिए समय पर कदम उठाने में विफल हो ऐसे अधिकारियो के खिलाफ विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई संस्था की निर्धारित प्रक्रिया के साथ आरंभ होगी जिस संस्था में दोषपूर्ण स्टाफ हे, उस पर कार्रवाई की जाएगी। संस्था के प्रमुख सत्ता द्वारा नामित प्रमुख नियुक्त ही विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकता हे और ऐसी कार्रवाई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना की जा सकती है कि किसी भी कार्रवाई को समय पर करने की विफलता के लिए, रैगिंग के अपराध को उकसाने के लिए दंड कानून के तहत रैगिंग या किसी भी छात्र को दंडित करने के तरीके की रोकथाम में दोषी पाया जाना।